कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी कबीरधाम(छ.ग.)

//आदेश//

क्रमांक/3365/सां.लि/कोरोना/2020 कवर्धा, दिनांक 18.05.2020

वैश्विक महामारी कोरोना वायरस (COVID-19) के प्रसार को रोकने तथा इस पर नियंत्रण हेतु जिले में दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 के अंतर्गत धारा 144 का आदेश प्रसारित किया गया है। कार्यालयीन आदेश क्रमांक 3243 दिनांक 17.05.2020 के अनुसार जिला कबीरधाम के समस्त सीमा क्षेत्र के अंतर्गत संक्रमण से बचाव एवं स्वास्थ्यगत आपातकालीन स्थिति को नियंत्रण में रखने हेतु दिनांक 17.08.2020 रात्रि 12.00 बजे तक दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 के अंतर्गत धारा 144 को बढ़ाया गया है। पूर्व में भारत सरकार तथा छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जारी पत्र के परिपालन में कार्यालयीन आदेश/पत्र क्रमांक 2548 दिनांक 19.04.2020, 2582 दिनांक 21.04.2020, 2616 दिनांक 22.04.2020, 2625 दिनांक 23.04.2020, 2676 दिनांक 26.04.2020, 2730 दिनांक 30.04.2020, 2819 दिनांक 03.05.2020, 2824 दिनांक 04.05.2020, 2838 दिनांक 04.05.2020, 2826 दिनांक 04.05.2020, 2881 दिनांक 08.05.2020, 2998 दिनांक 12.05.2020 एवं 3243 दिनांक 17.05.2020 द्वारा विभिन्न अतिरिक्त गतिविधियां हेतु छूट प्रदान की गई थी।

2. गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी आदेश क्रमांक 40-3/2020-DM-I(A) दिनांक 17.05.2020 एवं छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र कमांक 253/स.सा.प्र.वि./2020 दिनांक 17.05.2020 में नोवेल कोरोना वायरस संक्रमण नियंत्रण हेतु घोषित लॉकडाऊन में **रेड जोन** (जिला होने के कारण) के भीतर विभिन्न गतिविधियों पर प्रतिबंधित एवं अनुमति के संबंध दिशा–निर्देश दिया गया है। जिसके परिपालन में : –

1. लॉकडाउन दिनांक 31 मई, 2020 तक लागू रहेगा।

2. कबीरधाम जिले में निम्नलिखित गतिविधियां निषिद्ध रहेंगी।

   i. यात्रियों की सभी घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्रा।

   ii. घरेलू चिकित्सा सेवाओं, घरेलू एयर एम्बुलेंस तथा सुरक्षा प्रयोजनों या गृह मंत्रालय की अनुमति प्राप्त अन्य प्रयोजनों को छोड़कर, मेट्रो रेल सेवांए

   iii. विद्यालय/महाविद्यालय, शैक्षणिक/प्रशिक्षण/कोचिंग संस्थान बंद रहेगें। ऑनलाईन/दूरस्थ शिक्षण को अनुमति रहेगी।

   iv. हॉटल, रेस्तरां एवं अन्य आतिथ्य सेवाएं बंद रहेगी। (छूट– जो कि स्वास्थ्य/पुलिस/शासकीय गतिविधियों/स्वास्थ्य देखभाल कार्यकताओं/पर्यटकों सहित फंसे हुए व्यक्तियों को ठहराने तथा क्वारेंटाईन सुविधाओं के लिए इन सेवाओं के उपयोग की अनुमति होगी। रेस्तरां को खाद्य वस्तुओं की होम डिलीवरी के लिए किचन चलानें की अनुमति होगी।

   v. सभी सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, व्यायामशाला, स्वीमिंगपूल, मनोरंजन पार्क, थियेटर, क्लब, बार तथा सभागार, बैठक हॉल, खेलकूद, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, स्टेडियम तथा ऐसे ही अन्य स्थान बंद रहेंगे।

Scanned with CamScanner

vi. सभी प्रकार के सामाजिक/राजनैतिक/खेल–कूद/मनोरंजन/शैक्षणिक/ सांस्कृतिक/धार्मिक कार्य/अन्य सभा तथा जमावड़े प्रतिबंधित रहेंगे।

vii. सभी धार्मिक स्थल/पूजा स्थल जनसाधारण के लिए बंद रखा जाएगा। साथ ही धार्मिक सभाओं पर कड़ाई से प्रतिबंध रहेगा।

3. जिले में समस्त सार्वजनिक परिवहन सेवायें, जिसमें निजी बसें, टैक्सी, ऑटो–रिक्शा, बसें, ई–रिक्शा, रिक्शा इत्यादि भी शामिल हैं, के परिचालन को तत्काल प्रभाव से बंद रहेंगी। केवल इमरजेंसी मेडिकल सेवा वाले व्यक्तियों को वाहन द्वारा आवागमन की अनुमति रहेगी। ऐसी निजी वाहन जो इस आदेश के अंतर्गत आवश्यक वस्तुओं/सेवाओं के उत्पादन एवं उनके परिवहन का कार्य कर रहे हों, उन्हें भी अपवादिक स्थिति में तात्कालीक आवश्यकताओं को देखते हुए परिवहन की छूट रहेगी।

4. कोविड–19 की रोकथाम हेतु अनुलग्नक–II में दिए गए निर्देशों का पालन सुनिश्चित करना होगा।

5. कन्टेन्मेंट, बफर, रेड, ग्रीन और ऑरेंज जोन

i. कन्टेन्मेंट जोन में केवल चिकित्सा संबंधी आपात सेवाओं और आवश्यक वस्तुओं तथा सेवाओं की आपूर्ति बनाए रखने के लिए संबंधित लोगों की आवाजाही की अनुमति रहेगी।

6. आवश्यक गतिविधियों को छोड़कर, रात्रि 07:00 बजे से प्रातः 07:00 बजे के बीच लोगों की आवाजाही कड़ाई से निषिद्ध रहेगी। अर्थात् रात्रि कालीन कर्फ्यु रहेगा। कार्यालयीन आदेश क्रमांक 3243 दिनांक 17.05.2020 अनुसार दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 का पालन अनिवार्य होगा।

7. 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति, अन्य रोगों से ग्रस्त व्यक्ति, गर्भवती महिलांए और 10 वर्ष से कम आयु के बच्चे घर पर रहेंगे। वे केवल आवश्यक सेवाओं और स्वास्थ्य प्रयोजनों के लिए ही बाहर जा सकते हैं।

8. जिले के भीतर कार्यालयीन आदेश क्रमांक 2881 दिनांक 08.05.2020 अनुसार शनिवार एवं रविवार को संपूर्ण लॉकडाउन रहेगा।

9. नाई की दुकान, सेलून को खोलने की अनुमति होगी, किन्तु दुकान के भीतर जितनी बैठक व्यवस्था हेतु कुर्सियां होंगी, उतने ही व्यक्ति सोशल डिस्टेंसिंग के पालन पर अनुमति।

10. ब्यूटीपार्लर खोलने की अनुमति होगी, किन्तु दुकान में ग्राहकों हेतु रजिस्टर संधारित करेंगे। यथासंभव सी.सी.टी.व्ही. कैमरा उपयोग किया जाए। ब्यूटीपार्लर के भीतर जितनी बैठक व्यवस्था हेतु कुर्सियां होंगी, उतने ही व्यक्ति सोशल डिस्टेंसिंग के पालन पर अनुमति।

11. ग्रामीण क्षेत्रों में खेल के मैदान बंद रहेंगे।

12. ठेले, गुमटी, चौपाटी वगैरह को खोलने की अनुमति होगी, किन्तु दो दुकानों के मध्य 20 फीट की दूरी होना अनिवार्य होगा।

13. ग्रामीण क्षेत्रों में हॉट बाजार व साप्ताहिक बाजार सोशल डिस्टेंसिंग के तहत खोलने की अनुमति होगी।

Scanned with CamScanner

आपातकालीन सेवाओं को छोड़कर छूट प्राप्त दुकानों/संस्थानों को खोलने की समय–सीमा प्रातः 08:00 बजे से सांय 05:00 तक रहेंगी। जिले में हॉटस्पाट एवं कन्टेन्मेंट जोन घोषित होने की दशा में यथा स्थिति रेड जोन (हॉटस्पॉट जिला) तथा कंटेन्मेंट जोन के संबंध में जारी लॉकडाउन निर्देश पूर्वानुसार प्रभावी होंगे तथा इन अतिरिक्त गतिविधियों को निष्पादित करने की अनुमति हॉटस्पाट एवं कंटेन्मेंट जोन में नहीं होगी।

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

(अवनीश कुमार शरण)
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी,
कबीरधाम (छ.ग.)

पृ.क्रमांक/3366/सां.लि/कोरोना/2020 कवर्धा, दिनांक 18.05.2020

प्रतिलिपिः–

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, छ.ग. शासन, गृह विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, अटल नगर नवा रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
2. सचिव, छ.ग. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, अटल नगर नवा रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
3. सचिव, छ.ग. शासन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, अटल नगर नवा रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
4. आयुक्त, दुर्ग संभाग, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
5. पुलिस महानिरीक्षक, दुर्ग, जिला दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
6. पुलिस अधीक्षक, जिला कबीरधाम को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
7. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत कबीरधाम को सूचनार्थ।
8. वनमण्डलाधिकारी, वनमण्डल कवर्धा, जिला कबीरधाम की ओर सूचनार्थ।
9. जिला सेनानी, नगर सेना, जिला कबीरधाम को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
10. जिला परिवहन अधिकारी, जिला कबीरधाम को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
11. जिला आबकारी अधिकारी, जिला कबीरधाम को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
12. जिला खाद्य अधिकारी, कबीरधाम को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
13. सर्व अनुविभागीय दण्डधिकारी, जिला कबीरधाम को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
14. सर्व मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत कबीरधाम को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
15. सहायक संचालक, जनसंपर्क कबीरधाम की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
16. सर्व मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत जिला कबीरधाम को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
17. सर्व संबंधित विभाग प्रमुख/श्री..को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी,
कबीरधाम (छ.ग.)

Scanned with CamScanner